भारत सरकार
गृह मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2607
दिनांक 18 दिसम्बर, 2024 / 27 अग्रहायण, 1946 (शक) को उत्तर के लिए

पुलिस बल में महिलाओं की भर्ती

2607 डा. मु. तंबी दुरैः

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि देश भर में पुलिस बल में महिलाओं की भर्ती में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो विगत पांच वर्षों का वर्ष-वार, राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) पुलिस बल में महिलाओं की भर्ती बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा और क्या कदम, यदि कोई हो, उठाए गए हैं ?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री नित्यानंद राय)

(क) से (ग): "पुलिस" भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची-II (राज्य सूची) के तहत राज्य का विषय है। अधिक महिला कार्मिकों की भर्ती करने की प्राथमिक जिम्मेदारी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की होती है। गृह मंत्रालय ने महिला पुलिस के प्रतिनिधित्व को बढ़ाकर कुल नफरी का 33% करने के लिए सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को दिनांक 22.04.2013, 21.05.2014, 12.05.2015, 21.06.2019, 22.06.2021, 13.04.2022, 27.04.2023 और 05.12.2023 को एडवाइजरी जारी की हैं। सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से अनुरोध किया गया है कि वे कांस्टेबलों/उप-निरीक्षकों के रिक्त पदों को परिवर्तित करके महिला कांस्टेबलों/उप-निरीक्षकों के अतिरिक्त पद सृजित करें। इसका उद्देश्य यह है कि प्रत्येक पुलिस स्टेशन में कम से कम 3 महिला उप-निरीक्षक और 10 महिला पुलिस कांस्टेबल होनी चाहिए, ताकि महिला हेल्प-डेस्क चौबीसों घंटे काम कर सके।

"पुलिस" राज्य का विषय होने के कारण, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में महिला पुलिस कार्मिकों की भर्ती का ब्यौरा केन्द्रीयकृत रूप से नहीं रखा जाता है।

****